Re: Hoisting of 2910 Pakistani Flag at Latitilla

कोई चीज बाहर हो रही है तो उस से मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राम सेवक यादव ने रूल २२४ कोट किया है। उस में यह साफ है:

"The matter requires the intervention of the House."

ग्रगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं तो उस में हाउस किसी वक्त भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता । कर्टसी की बात दूसरी है। जिस वक्त हाउस बैठा हो तो कर्टसी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब उस को बतलाएं। लेकिन यह उन की मर्जी की बात है । लेकिन इस वक्त तो यह सवाल भी पैदा नहीं होता । इसलिए यह जो मोशन लाया गया है बीच स्राफ प्रिविलेज का इस को कंसेंट देने से इसी वास्ते मैंने इन्कार कर दिया।

Shri Hari Vishnu Kamath: I seek clarification of your ruling. You were pleased to observe that the Prime Minister has got the right of power under the Constitution to appoint the Council of Ministers and also dismiss them or remove any Minister. I believe that it is the President who has to do that under the Constitution. It it, therefore, right for the Minister to announce in public that he has accepted the resignation, before the President has accepted the resignation submitted.

Mr. Speaker: That is a different thing altogether.

श्राध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि वह सिफारिश करें ग्रौर ग्रगर मेरे ग्रल्फाज से यह पाया जाता है कि सिफारिश के बारे में मैंने नहीं कहा, तो यह मेरी गलती है, श्रीर मैं उस को माडीफाई करता हं।

Nath Pai: Sir, I am not Shri pursuing it. Arising out of it, the daily Press is full of rumours about resignations. May we know if there is any.... (Interruptions.)

Mr. Speaker: Order, order.

श्री त्यागी : मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है कि रेजिगनेशन का मामला जिस पर मे दोस्त ऐतराज कर रहे हैं, वह कायदे से ग्रभी हमारे सामने आया नहीं है।

श्रध्यक्ष महोदय : जो इनफारमेशन मैं उन को नहीं देना चाहता वह आप उन को दे रहे हैं।

श्री त्यागी : मैं दूसरी बात अर्ज करना चाहता हुं। यह प्रिविलेज का सवाल है। हर पार्टी के श्रन्दर जो भी लीडर होगा उस पार्टी का उस की मेम्बरशिप होगी, वहां वह

श्रध्यक्ष महोदय : श्रार्डर, श्रार्डर : मेरा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

क्याश्री एस० एम० बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के कल के बयान के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : बाहर जो सरकार के बारे में ग्रफवाह फैल रही है क्या मैं उस के बारे में सवाल कर सकता हं . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : सवालात तो बेशक कर सकते हैं। मैं तो इस वक्त ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज के मोशन पर फैसला दे रहा हं। मैं किसी हाइपाथिटिकल सवाल का जवाब नहीं देना चाहता । कल जो प्र.इम मिनिस्टर साहब का बयान हम्रा है उस के बारे में ग्रगर वह सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं।

12.18 hrs.

RE. HOISTING OF PAKISTANI FLAG AT LATITILLA

Shri S. M. Banerjee: I shall ask a question.

Mr. Speaker: He may put it.

Shri S. M. Banerjee: It is stated in vesterday's statement that this particular area where the Pakistanis had hoisted their flag on the 14th is considered disputed area by our Government. On what basis is this area considered to be disputed area? Is this the reason why Pakistanis hoist their flag there and if so, is the Government likely to change their position after these repeated intrusions? Knowing full well it is we who have declared it as a disputed area.

Thee Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister (Shri Jawaharlal Atomic Energy Nehru): It is disputed area. of interpretation is а auestion the old Radicliffe's award. In that Award there is a discrepency written word and between the the map attached to it. According to the map this village fell on the Pakistan side but according to the description attached to the map, the area fell on the Indian side. Now, the rule for interpretation of these things was laid down by Mr. Radcliffe himself: where there is a discrepancy, the written word should count far more than the line on the map. Anyhow, there is a line on the map and therefore, Pakistan has been claiming this for sometime. The matter was being considered when the process of demarcation came: the process of demarcation has not taken place in this area. We try to expedite its process so that the matter might be settled this way or that way. But somehow it is being delayed. Even now we have asked them to expedite it and meanwhile as I stated yesterday, that the existing condition should remain, that is, the status quo according to which we are there.

Shri S. M. Baneriee: Have agreed to maintain the status quo?

Shri Jawaharlal Nehru: Pakistani authorities sometimes ago repeatedly agreed to that but the local authorities, inspite of that agreement, have infringed it: their people have interfered with our people working in the fields etc. We have again them to expedite this demarcation so that this matter might be settled this way or that way.

Shri Hari Vishnu Kamath hangabad): Has the attention of the Prime Minister been drawn to certain allegations made in the Assam Legislative Assembly to the effect one of the persons who hoisted one of the Pakistani flags there were fifteen small flags according to the Minister's statement is a Congressman who had earlier harboured Pakis. tani army personnel in that area and are there reasons to believe that the Government's somewhat weak-kneed invertebrate policy towards Pakistan infiltrators into Assam is anti national miscreants to run riot with impunity?

Shri Jawaharlal Nehru: No. Sir: I have not seen this extra-ordinary statement to which the hon Member refers. But such information as we have is that these small flags were secretly put up by the people who came from Pakistan that morning: they put them up and rather compelled a few other people to put them up.

Shri Hari Vishnu Kamath: That information is in papers. I will pass it on.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : ग्रध्यक्ष महोदय, विषयान्तर ।

श्रम्यक्ष महोदय : श्राप बैठ जाइये r

श्री रामेश्वरानन्द : यह दूसरा प्रश्न है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रभी पहला तो खत्म हो लेने दीजिये।

Shri Swell (Assam-Autonomous Districts): There are a number rather significant portions in the statement of the Prime Minister. instance, it is stated that when the Assam Police went to that territory they were threatened with East Pakistan Rifles and they could not make any arrests. Then it is also stated that when the East Pakistan Rifles fired at our personnel our personnel did not return the fire. It is stated that as a result of all these incidents the Government has tructed the Government of Assam to give armed protection to the people in the border areas there. Does it meant that so long the entire border was left free without any armed protection whatsoever?

Shri Jawaharlal Nehru: It does not mean what the hon. Member suggests. But it is one thing to give general protection by giving armed police, etc. It is another thing to take steps which may lead to the situation becoming worse. Then it ceases to be a question of a few armed policemen but taking steps on a much larger scale.

Shri Daji (Indore): The first incident was on the 14th and the second on the 19th, within five days. It means that during the period of five days we could not sufficiently patrol the area. Is the Government in a position to inform the House as to the steps taken? Do we expect such incidents in that particular area will not be repeated? Are we adequately prepared, at least as adequately as the Pakistani men?

Shri Jawaharlal Nehru: I cannot give a precise answer to that question. We are giving such protection as we can short of moving large armies there and we think that this kind of petty incidents will go on recurring till the matter, is settled. Therefore, we are trating on the dispute being settled by demarcation as quickly as possible.

श्री रामेश्वरानन्द : ग्रध्यक्ष महोदय, विषयान्तर । मेरा उस से सम्बन्ध नहीं है । मैं दूसरी बात कह रहा हूं । प्राच्यक्ष महोदय: एक बात खत्म हुई है। अब दूसरी बात अगर आप क ना चा ते हैं तो इस के लिए प ले से मुझे आप इत्तिला दीजिये। इस तर से बगर नोटिस के एक दम से खड़े हो कर कोई भी बात क ना उचित नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं इस की कई बार इतिला दे चुका हूं । पहले जो इतिलाएं दी जाती हैं वह पता नहीं कहां जाती हैं । कई बार ग्रम्यक्ष महोदय, हम ग्राप के पास लिख कर इत्तिलाएं भजते हैं परन्तु हमारी इतिलाएं श्राप के पास पहुंचती ही नहीं हैं । इसलिए मेरी बात ग्राप कृपया सुन तो लीजिये ।

ग्राच्यक्ष महोदय : ग्रब ग्राप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : यह गाजियाबाद के किसानों का मामला . . .

ग्रह्म **सहोदय** : ग्रार्डर, ग्रार्डर । ग्रब ग्राप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा भाव तो सुन लीजिए । मैं श्राप के ग्रार्डर को मानता हूं श्रीर मैं बैठ जाता हूं। लेकिन मेरी बात श्राप सुन श्रवश्य लें।

ग्रस्थक्ष महोदय : नहीं स्वामी जी, वह मेरे पास नोटिस ग्रा चुका है (Interruptions).

श्री कछवाय (देवास) : ग्रब ग्रगर ग्राप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : ग्रघ्यक्ष महोदय, श्राप मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिये ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब ग्राप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं भाप के कहने से बैठ गया । लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिये । मैं भ्राप को एक सूचना दे रहा हूं ...

मध्यक्ष महोदय : इस तरीक़ से ग्राप हाउस में कोई बात नहीं ला सकते यह मैं रोज कहता हं । नोटिस सुबह स्राते हैं । इस मामले में नोटिस तीन, चार दफ़े ब्रा चुके हैं श्रौर तीन, चार दफ़े मैं मैम्बरों से कह चुका हं कि वह मैंने नामजूर कर दिया है। इस हाउस को ग्रधिकार नहीं कि उस में दखल दे । मेरे पास कल डा० लोहिया ग्राये थे ग्रौर मैंने उनको यह समझा दिया था । जो दसरों के नोटिस ग्राये थे उन को भी मैंने यही समझाने का यत्न किया है । स्रब बगैर नोटिस के हर रोज हर एक मैम्बर इस तरीक़ से हाउस में खड़ा हो कर बोलना शरू कर देगा तो । उस का नौरमल काम नहीं चल सकेगा । इसलिए स्वामी जी, ग्रगर ग्राप कोई नोटिस देना चाहते हैं तो मुझे लिख कर भेजें । ग्रगर वह क़ायदे के मताबिक होगा तो मैं उस को दाखिल कर लंगा ग्रौर मैं उसे हाउस में उठाने की इजाजत देदुंगा । लेकिन इस तरीक़े से इजाजत नहीं दे सकता कि कोई मैम्बर जब उस के जी में भ्राये किसी भी समय खडा हो कर कहना शरू कर दे। इस मामले पर बहत विचार हो चका है ग्रौर ग्रब मैं उस की इजाजत नहीं दे सकता ।

Some hon, Members rose-

ग्रध्यक्षः महोदय : श्रब तीन श्रादमी एक वक्त खडे नहीं हो सकते हैं ।

श्री राम सेवक यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप ने जो कहा मैं उसे बिलकुल मानूंगा श्रौर वह हमें शिरोधायं है । ग्राप ने यह कहा कि यह केन्द्र का विषय नहीं है । इसी सम्बन्ध में मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता था कि संविधान का जो सातवां शैंड्यूल है उस में जो सम्मिलित सूची है, ७०वीं लिस्ट . .

श्राच्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य यह मानते हैं कि मेरा यह कह्न्या कि यह केन्द्र का विषय नहीं है और इस पर यहां बहस की इजाजत नहीं दी जा सकती है, ग़लत है तो वे मेरे पास चैम्बर में आये श्रौर मुझे इस बारे में बतलाये कि कैसे वह ग़लत है। या बहस होतो है फैसला नहीं होता है। इसलिए माननीय सदस्य मेरे पास अभी जब में उठ कर जाऊंगा तब आ कर मुझे समझायें। कल भी मैंने लोहिया सा ब को कहा था कि अगर आप के पास कोई चीज है तो ले आइये मेरे पास जिस से आप मानते हैं कि यह पालियामेंट इस पर बहस कर सकती है। मैं उस पर गौर करने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि अब इस को वह खत्म करें और हाउस का काम आगे चलने दें।

12.27 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

RICE MILLING INDUSTRY (REGULATION AND LICENSING) AMENDMENT RULES, 1963.

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): I beg to lay on the Table a copy of the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Notification No. G.S.R. 1369 dated the 17th August, 1963, under sub-section (4) of section 22 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958. [Placed in Library. See No. LT-1561/631.

Indian Aircraft (Second Amendment Rules, 1963

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Mohiuddin): I beg to lay on the Table a copy of the Indian Aircraft (Second Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1373 dated the 17th August, 1963, under section 14A of the Aircraft Act, 1934, together with an explanatory note. [Placed in Library. See No. LT-1562/63].